



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1-खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 23 नवम्बर, 1976
अग्रहायण: 2, 1898 शक. सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4983/सत्रह-वि०-1-158-76

लखनऊ, 23 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विधि

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 20 नवम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 50, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1976

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 50, 1976]

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 1 नवम्बर, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 8,
1962 की धारा
3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की जिसे प्रागे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में,

(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

“(3-क) इस उपधारा के प्रारम्भ से और उसके पश्चात् यात्री गाड़ी से ले जाए जाने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा प्रत्येक यात्रा के लिए देय कर और अतिरिक्त कर पर, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जैसे निदेश दे, वंसी वर पर यात्रियों के बीमा के प्रयोजनार्थ, अधिभार भी लगाया जायगा और राज्य सरकार को दिया जायगा, जो ऐसे कर और अतिरिक्त कर के कुल योग के पांच प्रतिशत से अधिक न होगा।”

(ख) उपधारा (4) में, शब्द “उपधारा (3) के अधीन भारतीय अतिरिक्त कर” के स्थान पर शब्द “उपधारा (3) और (3-क) के अधीन प्रभाय अतिरिक्त कर और अधिभार” रख दिये जायेंगे, और शब्द “उक्त अतिरिक्त कर” के पश्चात् शब्द “और अधिभार” रख दिये जायेंगे।

निरसन तथा
अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समात उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी।

No. 4983/XVII-V-1-158-76

Dated Lucknow, November 23, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatrikar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 50 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 20, 1976.

THE UTTAR PRADESH MOTOR GADI (YATRIKAR) (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 50 OF 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatrikar) Adhiniyam, 1962.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatrikar) (Amendment) Act, 1976.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 1, 1976.

Amendment of section 3 of U.P. Act 8 of 1962.

2. In section 3 of the U. P. Motor Gadi (Yatrikar) Adhiniyam, 1962, hereinafter referred to as the principal Act—

(a) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3-A) From and after the commencement of this sub-section there shall further be levied and paid to the State Government a surcharge for the purposes of insurance of passengers, on the tax and additional tax payable by every passenger carried by a stage carriage for each journey, at a rate not exceeding 5 per cent of the aggregate of such tax and additional tax as the State Government may by notification direct”;

(b) in sub-section (4), for the words “additional tax chargeable under sub-section (3)” the words “additional tax and surcharge chargeable under sub-sections (3) and (3-A)” shall be substituted, and after the words “the said additional tax” the words “and surcharge” shall be inserted.

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
सं. 33
1976

3. (1) The Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatrikar) (Amendment) Ordinance, 1976, is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।